म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र.—बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727/8433 भोपाल, दिनांक 08/11/2021

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
..............................जिला........................ (म0प्र0)

विषय :—सहायक ग्रेड—3 संवर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति/अनुमति के संबंध में।

——00——

म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के दिवंगत सेवको के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी—3—12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 के दिशा निर्देशो के तहत परीक्षण उपरांत, मान्यता प्राप्त संस्था से 03(तीन) वर्ष में सी.पी.सी.टी एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही आगामी वेतन वृद्धि देय होने तथा अनुकम्पा नियुक्ति की प्रकिया में अनियमितता प्रमाणित पाये जाने की दशा में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश को संशोधित/निरस्त किया जा सकने, की शर्तो के अध्याधीन, शासन द्वारा जारी नवीन जिला स्तरीय सीधी भर्ती रोस्टर के आधार पर संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आँचलिक कार्यालयों से संभाग अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों में सहायक ग्रेड—3 संवर्ग के रिक्त पदों की प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित आवेदको को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कृषि उपज मंडी समितियों में सहायक ग्रेड—3 संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाने की सहमति प्रदान की जाती है :—

सं. कं	मृतक कर्मी का नाम/पदनाम /मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मतक कर्मी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
01	स्व.श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक ग्रेड—2 कृषि उपज मंडी समिति, बैराड जिला शिवपुरी	25.04.2021	श्री अमन शर्मा पुत्र	सामान्य	कृषि उपज मंडी समिति, बड़ौदा जिला श्योपुर
02	स्व.श्री प्रवीण हराल भृत्य कृषि उपज मंडी समिति, इंदौर	27.01.2021	श्री भावेश हराल पुत्र	पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, बागली जिला देवास
03	स्व.श्री मोरियल थॉमस सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति, इटारसी जिला होशंगाबाद	02.05.2021	श्रीमती श्वेता थॉमस पत्नि	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, बानापुरा जिला होशंगाबाद

सं. कं	मृतक कमी का नाम/पदनाम/मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कमी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति का सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
04	स्व.श्री गुलाबचंद चपरिया सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति, करही जिला खरगोन	04.05.2021	श्री प्रितेश चपरिया पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, नागदा जिला उज्जैन
05	स्व.श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर मंडी निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति, राजगढ जिला धार	26.04.2021	श्री विजेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र	अनुसूचित जनजाति	कृषि उपज मंडी समिति, बदनावर जिला धार
06	स्व.श्री मुकेश भूरिया सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति, पेटलावद जिला झाबुआ	28.05.2021	श्रीमती सेवंता भूरिया पत्नि	अनुसूचित जनजाति	कृषि उपज मंडी समिति, बदनावर जिला धार
07	स्व.श्री महादेव सोनकुशले भृत्य कृषि उपज मंडी समिति, पाण्ढूरना जिला छिंदवाडा	20.04.2021	श्री सूरज सोनकुशले पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, घंसौर जिला सिवनी
08	स्व0 श्री शान्तिलाल राठौर भृत्य कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर जिला मंदसौर	27.01.2021	श्री वैभव राठौर पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति, नीमच जिला नीमच
09	स्व0 श्री महेश कुमार जाट भृत्य कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर	21.04.2021	श्री रामकुमार जाट पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर
10	स्व0 श्री महेशचन्द्र माली भृत्य कृषि उपज मंडी समिति आगर जिला आगर	22.04.2021	श्री रवि जादम पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, नलखेडा जिला आगर

सं. कं	मृतक कर्मी का नाम/पदनाम /मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कर्मी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
11	स्व0 श्री जितेन्द्र सिंह चौहान सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति नीमच जिला नीमच	12.05.2021	श्रीमती संगीता चौहान पत्नि	सामान्य वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर जिला मंदसौर
12	स्व0 श्री अन्तर सिंह नागर सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति सौयतकलां जिला आगर	08.05.2021	श्री पवन कुमार नागर पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, बड़ौद जिला आगर
13	स्व0 श्री शैलेन्द्र सिंह बमने सहायक ग्रेड-3 कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन जिला उज्जैन	22.05.2021	श्रीमती मंगला बनमे पत्नि	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर जिला उज्जैन
14	स्व0 श्री भगवान सिंह मालवीय मंडी निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति हाटपिपल्या जिला देवास	18.05.2021	श्री आलोक मालवीय पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति, शुजालपुर जिला शाजापुर
15	स्व0 श्री कृष्णगोपाल शर्मा सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लटेरी जिला विदिशा	23.04.2021	श्री गौरव शर्मा पुत्र	सामान्य वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा जिला राजगढ
16	स्व0 श्री भीकला बडोले मर्डी निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा जिला बडवानी	21.04.2021	श्री निलेश बडोले पुत्र	अनुसूचित जनजाति	कृषि उपज मंडी समिति, बेड़िया जिला खरगोन
17	स्व0 श्री गुमान सिंह ठाकुर सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	01.05.2021	श्री मनोज ठाकुर पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, शाहपुरा(भिटौनी) जिला जबलपुर

स. क्रं	मृतक कर्मी का नाम/पदनाम /मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कर्मी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक का जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
18	स्व0 श्री मदनलाल पाटीदार सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति इछावर जिला सीहोर	22.04.2021	सुश्री रेणुका पाटीदार पुत्री	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, जावर जिला सीहोर
19	स्व0 श्रीमती संध्या गोस्वामी भृत्य कृषि उपज मंडी समिति खोतगॉव जिला देवास	10.04.2021	श्री निरज गोस्वामी पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, सोनकच्छ जिला देवास
20	स्व0 श्रीमती मुमताज खान सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति जावरा जिला रतलाम	31.01.2021	श्री शाहरूख खान पुत्र	सामान्य वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, सैलाना जिला रतलाम
21	स्व0 श्री मोहनलाल साहू सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर जिला जबलपुर	04.05.2021	श्री महेश कुमार साहू पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, शहपुरा (भिटौनी) जिला जबलपुर
22	स्व0 श्री गोहनलाल शर्मा उपयंत्री तकनीकि संभाग ग्वालियर उपसंभाग गुना	07.05.2021	श्री कार्तिकेय शर्मा पुत्र	सामान्य वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, मक्सूदनगढ जिला गुना
23	स्व0 श्री इमरतलाल कुशवाह सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति विदिशा जिला विदिशा	31.05.2021	श्री तपेश कुशवाह पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, सिरोंज जिला विदिशा
24	स्व0 श्री संजय चौहान सहायक ग्रेड–3 कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा जिला रायसेन	13.05.2021	श्री अनिल चौहान भाई	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति, विदिशा जिला विदिशा

सं. कं	मृतक कर्मी का नाम/पदनाम /मृत्यु मृत्यु पूर्व पदस्थी स्थल	मृतक कर्मी की मृत्यु दिनांक	अनुकम्पा नियुक्ति आवेदक का नाम/मृतक कर्मी से संबंध	आवेदक की जाति/वर्ग	अनुकम्पा नियुक्ति की सहमति स्थल
01	02	03	04	05	06
25	स्व0 श्री बलराम सिंह परिहार सहायक ग्रेड-2 कृषि उपज मंडी समिति करेली जिला नरसिंहपुर	12.07.2021	श्री राजेश परिहार पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, गोटेगॉव जिला नरसिंहपुर
26	स्व0 श्री गणेशगिरी गोस्वामी सहायक ग्रेड-3 कृषि उपज मंडी समिति शाहपुरा भिटोनी जिला जबलपुर	08.02.2021	श्रीमती पुष्पांजली गोस्वामी पुत्री	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, सिहोरा जिला जबलपुर
27	स्व0 श्री राम अहिरवार सहायक ग्रे-2 कृषि उपज मंडी समिति खुरई जिला सागर	10.05.2021	श्री सौरभ रोहित पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति, पथरिया जिला दमोह
28	स्व0 श्री बनवीर सिंह वैश्ले भृत्य कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ जिला राजगढ	07.08.2021	श्री अमित सिंह वैश्ले पुत्र	अन्य पिछडा वर्ग	कृषि उपज मंडी समिति, शमशाबाद जिला विदिशा
29	स्व.श्री कालूराम जाटव सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति, पचौर जिला राजगढ	01.02.2015	श्री प्रियांश जाटव पुत्र	अनुसूचित जाति	कृषि उपज मंडी समिति, ब्यावरा जिला राजगढ

30	स्व.श्री जगमोहनलाल आदिवासी सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति, हनुमना जिला रीवा	28.04.2021	श्री जयकुमार रावत पुत्र	अनुसूचित जनजाति	कृषि उपज मंडी समिति, सतना जिला सतना

संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों में अनुकम्पा नियुक्ति देने बावत् आदेश का प्रारूप संलग्न है।

अतः दी गई सहमति के आधार पर 15 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति आदेश कृषि उपज मंडी समिति से जारी कर पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित किया जावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक—सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र.—बोर्ड कार्मिक/अनु.नियु./ख/727/8434 भोपाल, दिनांक 08/11/2021

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक माननीय, मंत्री जी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड।
2. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक(वित्त/कार्मिक) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय ....।
5. कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ....
6. उप संचालक(वित्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, ... जिला....................(म.प्र.)
8. श्री/श्रीमती/कु. ....पिता/पति/भाई स्व.श्री .... निवासी .... (म.प्र.) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो सहित सचिव कृषि उपज मंडी समिति, ...जिला....................(म.प्र.) से संपर्क करें।

प्रबंध संचालक—सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

(लिपिक आदेश प्रारूप)

कार्यालय, कृषि उपज मंडी समिति
....................जिला.......................(म0प्र0)

क्रमांक / मंडी स्था. / अनु.नि. /   ....दिनांक ....

::आदेश::

म.म.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के पत्र क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / अनु.नि. / ....दिनांक ...... एवं मंडी समिति................प्रस्ताव क्रमांक / दिनांक..............के पालन में स्व0श्री .... पदनाम .... .कृ.उ.म.स..........जिला..................के पुत्र / पुत्री. / श्री / श्रीमती / कु................................. को कृषि उपज मंडी .... जिला................. में सहायक ग्रेड–3 संवर्ग के जाति .... वर्ग के रिक्त पद पर वेतनमान म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल 04 (19500–62000) का न्यूनतम वेतनमान 19500 / – एवं अन्य भत्तो पर आगामी आदेश पर्यन्त 03 (तीन) वर्ष की परीविक्षा अवधि पर अनुकम्पा नियुक्ति, निम्न शर्तो की अधीन प्रदान की जाती है :–

1. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना होगा। उक्त समय अवधी समाप्त होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8(1) के तहत अनुकम्पा नियुक्ति की प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी।
3. परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
4. कर्मचारी को भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिये नियमानुसार शपथ लेनी होगी।
5. प्रथम नियुक्ति के बाद उस माह का वेतन प्राप्त करने के पूर्व कर्मचारी को संबंधित जिलें के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया तो कर्मचारी की सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं. एफ सी–15 / 2012 / 1 / 3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ–पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
7. म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी 3–12 / 2013 / 1 / 3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 अनुसारं मृतक कर्मी की पत्नि को अनुकम्पा नियुक्ति उपरांत, चरित्र सत्यापन(पुलिस वेरिफिकेशन) में छूट रहेगी।
8. प्रथम नियुक्ति के समय कर्मचारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेज(अंकसूची / जाति प्रमाण पत्र) सत्य व सहीं है तथा सभी नियमों का पालन करेगा जो कि मंडी एवं राज्य के शासकीय कर्मचारियों पर लागू होते है।
9. नियुक्ति पश्चात उपस्थिति के समय प्रस्तुत शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची / जाति प्रमाण पत्रो का संबंधित संस्था / कार्यालय से सत्यापन कराया जावेगा । यदि संबंधित कार्यालय से प्रतिकूल रिपोर्ट पाई गई तो कर्मचारी की सेवायें बिना कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
10. प्रत्येक कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति अस्थाई एवं अन्य आगामी आदेश तक मानी जावेगी। इस प्रकार ऐसे कर्मचारियों की सेवायें कभी भी एक माह की सूचना अवधि के बाद अथवा सूचना अवधि के बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि कर्मचारी अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहे तो उसे भी एक माह की सूचना अवधि में कार्य करना होगा अथवा एक माह का वेतन मंडी समिति के कार्यालय में जमा करना होगा।
11. एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर शर्त(7)के अन्तर्गत देय राशि उनसे भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूल योग्य होगी।

12. परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक मंडी समिति की सेवा करेगा ओर अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद मंडी समिति में जमा करेगा।

13. स्थायी सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोडने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन कलेण्डर माह की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दिये बिना अपनी सेवा नहीं छोडेगा या त्याग पत्र नहीं देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिए प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो,वेतन के बराबर की रकम मंडी समिति को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

14. नियुक्ति के लिये वांछित एवं किसी भी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य, भ्रामक त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

15. कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 एवं तत्विषय पर राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से नियमानुसार राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।

16. आरक्षित वर्ग के लिये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हो तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र नियुक्ति दिनांक से छः माह की अवधि में कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

17. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि स तीन बर्ष को परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है। परिवीक्षा अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्था/कार्यालय से सत्यापन आवश्यक है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

18. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से सी.पी.सी.टी परीक्षा 03(तीन) वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय अवधि में उल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

19. कम्प्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित संस्थाओ में से किसी एक संस्था से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगाः–

1. यू.जी.सी.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3 डी.ओ.ई.ए.सी.सी.से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शाकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकवर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट''(**COPA**)प्रमाण पत्र।

हस्ताक्षर
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
.................जिला......... (म0प्र0)

क्रमांक/मंडी स्था./अनु.नि./............ ....दिनांक...........

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. निज सचिव प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. कलेक्टर जिला ....(म0प्र0)
3. अपर संचालक(कार्मिक) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड.,आंचलिक कार्यालय.............. (म0प्र0)
5 भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति..................जिला..................(म0प्र0)
6. लेखाधिकारी(पेंशन) मंडी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. स्थापना शाखा/लेखा शाखा/व्यक्गितग नस्ती, कृषि उपज मंडी समिति.....................जिला(म0प्र0)
8. श्री/श्रीमती/कु0/.............................स्व.पिता......................निवासी.... .... की ओर पालनार्थ।

हस्ताक्षर

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति.
..................जिला...........(म0प्र0)